भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं0 36 (आर0ई0-2010)/2009-2014
दिनांक: 1 मार्च, 2011

विषयः सोना मसूरी, पोन्नी साम्बा और मट्टा चावल के निर्यात की प्रक्रिया।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा गैर-बासमती चावल (सोना मसूरी, पोन्नी साम्बा और मट्टा चावल किस्में) के 1,50,000 मीट्रिक टन के निर्यात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अधिसूचित करती है। अधिसूचना सं. 21(आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 10 फरवरी, 2011 ने चावल की इन तीन किस्मों का निर्यात संबंधित मात्रा सीमा के साथ अनुमत किया था।

2. **निर्यात के लिए अनुमत गैर-बासमती चावल की मात्रा और निर्यात का पत्तन।**

क्रम सं.	गैर-बासमती चावल की किस्में	मात्रा (मीट्रिक टन)	निर्यात का पत्तन
1.	सोना मसूरी	1,00,000	50,000 मीट्रिक टन चेन्नई समुद्री पत्तन से और 50,000 मीट्रिक टन विशाखापत्तनम समुद्री पत्तन से
2.	पोन्नी साम्बा	25,000	तूतीकोरिन समुद्री पत्तन
3.	मट्टा	25,000	कोचीन समुद्री पत्तन

3. **निर्यात् की शर्तें :**

निम्नलिखित शर्तों का आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिएः-

(i) निर्यात 10 किग्रा. (10 किग्रा के पैक से अधिक नहीं) तक के उपभोक्ता पैक में होगा।

(ii) 5,000 मीट्रिक टन की अधिकतम मात्रा प्रति आयातक निर्यातक कोड (यह स्व-घोषणा आधार पर होगी; पोतलदान के समय सीमा-शुल्क के पास और बाद में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास घोषणा इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-I में दिए प्रपत्र में दायर की जानी है) के अनुसार निर्यात के लिए अनुमत होगी।

(iii) निर्यात केवल केएमएस, 2010-11 के दौरान अर्थात् 30.09.2011 तक अनुमत होगा।

(iv) सीमाशुल्क विभाग आवश्यक नमूना(नमूनों) को इकट्ठा करेगा तथा इसकी एगमार्क प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण कराएगा । परीक्षण रिपोर्ट की प्रति संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को भेजी जानी है जो संभावित उल्लंघन/गलत उद्घोषणा पर नजर रखेगा और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

10.2.2011 की अधिसूचना सं. 21(आर ई-2010)/2009-14 के द्वारा निर्यात के लिए अनुमत चावल की किस्में (सोना मसूरी, पोन्नी साम्बा और मट्टा) पत्तन प्रतिबंधों और उपरोक्त पैरा (3) की अन्य शर्तों के मद्दे होगी।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0.01/91/180/775/एएम10/एक्सपोर्ट सैल से जारी)

सार्वजनिक सूचना सं0 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक मार्च, 2011 का अनुलग्नक-1

घोषणा पत्र/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निर्यात किया गया चावल अधिसूचना सं0 21(आर ई-2010)/2009-14 दिनाँक 10 फरवरी, 2011 में यथा उल्लिखित किस्म का है और किसी/सभी पत्तनों से निर्यातित मात्रा इस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं है।

2. मैं/हम पूर्णतया समझता हूँ/समझते हैं कि मेरी/हमारी घोषणा गलत या झूठी साबित होने पर मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।

3. मैं/हम यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, के प्रावधानों और विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 2 और आईटीसी (एचएस) के अधीन बने नियमों और आदेशों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं। मैं/हम यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि गलत घोषणा होने पर, मुझे/हमें विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 8 के अनुसार आई ई सी के विवर्जन और निरस्तीकरण/निलम्बन सहित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11(2), (यथा संशोधित) के तहत दण्डात्मक परिणाम भुगतने होंगे।

4. मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस घोषणापत्र को सत्यापित और हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर — स्थान
नाम — तारीख
पदनाम
कार्यालय का पता

पिन कोड
दूरभाष सं. — वैकल्पिक फोन सं.
सैल फोन सं. — वैकल्पिक सैल फोन सं.
फैक्स सं. — वैकल्पिक फैक्स सं., यदि कोई हो
ईमेल — वैकल्पिक ई-मेल
आवासीय पता

टिप्पणीः

1. यह घोषणापत्र निर्यात के समय सीमाशुल्क विभाग को प्रस्तुत करना होगा। घोषणापत्र की एक प्रति निर्यात के 15 दिनों के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकारी (सम्बंधित संयुक्त महानिदेशक/उप महानिदेशक) के पास जमा करवानी (और रसीद प्राप्त) होगी।

2. इसका उद्देश्य इस सार्वजनिक सूचना के तहत यथानिर्धारित गैर-बासमती चावल की सभी तीनों किस्मों के लिए आईईसी के अनुसार 5,000 मी.टन के निर्यात की सीमा पर स्वतः रोक है।